न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **208/2023** दायर दिनाँक **12.09.2023**

वादी		**प्रतिवादी**
1. भूराराम दत्तक पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी ठाकरियास हाल निवासी जोरावरपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना— कुचामन राज0।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना। 2. बजरंग राम पुत्र शिवकरण राम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन राज0।

राजस्व—वाद बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः—
श्री हरफुलराव एडवोकेट वादी।

—:: **निर्णय** ::—

दिनाँक **25.02.2025**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम जोरावरपुरा के खेत खसरा सं0 1 रकबा 11.4000 हैक्टे0 बारानी 2 में स्थित है। उक्त भूमि में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की भूल से सहवन से या गलती हसे प्रार्थी का नाम भूराराम दत्तक पुत्र जीवणराम के स्थान पर भूरा राम पुत्र आयदानराम जाट सा0 ठाकरियास राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से प्रार्थी के जायज अधिकार खतेरे में पड़ गये है। इसलिए प्रार्थी को भविष्य में भारी समस्याओं का सामना करने की आशंका है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त खेताय में भूरा राम पुत्र आयदान राम जाट सा0 ठारियास के स्थान पर भूराराम दत्तक पुत्र जीवणराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना अतिआवश्यक तथा न्यायोचित है। भूरा राम पुत्र आयदान राम जाट सा0 ठाकरियास नाम का भौतिक रूप से इस नाम से कोई व्यक्ति नही है जबकि भूराराम दत्तक पुत्र जीवणराम के नाम से मौजूद है इसलिए भूरा राम पुत्र आयदान राम जाट सा0 ठाकरियास का नाम हटाया जाकर प्रार्थी भूराराम दत्तक पुत्र जीवणराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। इसी बाबत यह प्रार्थना पत्र द्वारा रिकॉर्ड दुरूस्ती का पेश है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः—

राजस्व ग्राम जोरावरपुरा पटवार हल्का पालोट के खेत खसरा सं0 1 रकबा 11.4000 हैक्टे0 बारानी 2 में भूरा राम पुत्र आयदान राम जाट सा0 ठाकरियास के स्थान पर प्रार्थी भूराराम दत्तक पुत्र जीवणराम खातेदारी में इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाने का आदेश सादर फरमावें। तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर प्रार्थी भूराराम दत्तक पुत्र जीवणराम के नाम से खातेदारी इन्द्राज किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मौलासर के पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/02 दिनांक 01.01.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की मारगर्भित बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:01:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया सरहद जोरावरपुरा के खसरा सं0 1 में वादी अपने पिता का नाम भूरा राम पुत्र आयदान राम के स्थान पर भूराराम दत्तक पुत्र जीवणराम दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसर सरहद जोरावर के खसरा सं0 1 में नामा0 सं0 36 दिनांक 25.04.1997 को जरिये बैचाण भुराराम पुत्र आईदानराम कौम जाट सा0 ठाकरियावास दर्ज हुआ है। उक्त नामान्तरकरण में नाम भुराराम पुत्र आईदानराम दर्ज हुआ है जबकि वादी गलत अंकन होने का कथन कर रहा है। वादी के कथन व साक्ष्यों में भिन्नता है इस कारण वादी किसी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तहसीलदार डीडवाना की रिर्पोट के अनुसार रेकर्ड का अंकन विक्रय पत्र के आधार पर हुआ है। वादी के पास विक्रय पत्र को संसोधन करवाने का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के गलत अंकन होने के कथन को स्वीकार नही किया जा सकता है। अतः बाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

—:: आदेश ::—

सरहद जोरावरपुरा के खसरा सं0 1 में वादी भूरा राम पुत्र आयदान राम जाट सा0 ठाकरियास के स्थान पर प्रार्थी भूराराम दत्तक पुत्र जीवणराम दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 25.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:01:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner